तार "केन्द्रीय निधि" नई दिल्ली
Telegram: "KENDRIYA NIDHI" New Delhi
ई-मेल/E-Mail:dir.ol@epfindia.gov.in
dydirepfo@rediffmail.com

दूरभाष/Telephone: 011-26185097
फैक्स/FAX : 011-26185097

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय/ Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या: हिन्दी अनुभाग/वेबसाइट/मुख्यालय/2010/ 2123 दिनांक 14 जून 2010

सेवा में,

1. निदेशक, नाटरस / सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
2. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय सहित)
3. सभी प्रभारी अधिकारी / उप क्षेत्रीय कार्यालय

विषय:- वेबसाईट पर सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या ई-15015/2/2010.रा.भा.नी. दिनांक 02.जून, 2010 तथा उसके साथ गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सचिव का दिनांक 20.05.2010 के अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रति संलग्न है ।

इस संबंध में राजभाषा विभाग के निर्देश है कि **'यह सुनिश्चित करायें कि वेबसाइट पर उपलब्ध सभी सामग्री / दस्तावेज यूनिकोड में हिन्दी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो ताकि पूर्ण और ताजा जानकारी देने के मामले में हिन्दी वेबसाइट अंग्रेजी वेबसाइट से पीछे न रहे ।'** केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय ने भी इन निदेशो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं । अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने प्रभाग / कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी सामग्री कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु भेजते हैं उसे द्विभाषी में जारी करवाने / अपलोड़ कराने के प्रबंध कराएं ताकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्त

11/06/2010

(राजेश बंसल)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन)
एवं प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:-

1. मुख्यालय के सभी प्रमुख अधिकारी ।
2. उप निदेशक (राजभाषा), मुम्बई, हैदराबाद एवं कोलकाता ।
3. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
4. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
5. श्री आर. के. द्विवेदी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।
6. डी.आ. (एन.डी.सी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु.

(राजवीर सिंह) 10/06/10
उप निदेशक (राजभाषा)

फा.संख्या ई-15015/2/2010-रा.भा.नी.
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक : 2 जून, 2010

सेवा में

श्रम और रोजगार मंत्रालय के
सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख।

विषय : वेबसाइट पर सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराना।

...

महोदय/महोदया

मुझे उपर्युक्त विषय पर सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सचिव, श्रम एवं रोजगार को सम्बोधित अ.शा. पत्र संख्या 12015/13/2010-रा.भा (तक.), दिनांक 20/05/2010 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। कृपया इस संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से मंत्रालय को अवगत कराएं ताकि राजभाषा विभाग को इस संबंध में यथोचित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

भवदीय,

(आर.के. द्विवेदी)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

अनुलग्नक : [illegible]

(5)

अ.शा. पत्र सं. 12015/13/2010-रा.भा.(तक.)

बी. एस. परशीरा
B. S. PARSHEERA
सचिव
SECRETARY
Tel. : 24631573
Tele-fax : 24648559

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
लोक नायक भवन, खान मार्किट
LOK NAYAK BHAVAN, KHAN MARKET
नई दिल्ली-110003
NEW DELHI-110003

दिनांक : 20.05.2010

प्रिय श्री चतुर्वेदी,

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए जारी किये जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये विभिन्न लक्ष्यों में वेबसाइट का द्विभाषी होना भी शामिल है। यह देखा जा रहा है कि मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारियां अंग्रेजी में उपलब्ध कराने में वेबसाइटें काफी सफल साबित हो रही हैं, परंतु कार्यालयों की हिंदी वेबसाइटें पूर्ण और अद्यतित जानकारी देने के मामले में उसी कार्यालय की अंग्रेजी वेबसाइट से इतनी पीछे हैं कि वे उपयोगकर्ता में भरोसा जगा पाने में पूर्णतया असफल है। साथ ही कुछ कार्यालयों की हिंदी वेबसाइट पर दी जा रही जानकारी मानक भाषा एनकोडिंग यानि यूनिकोड समर्थित फोंट में उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न प्रयोगकर्ताओं को इन वेबसाइटों के उपयोग में फोंट संबंधी अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ता है।

2. उपरोक्त के मद्देनजर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने मंत्रालय/विभाग, इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपलोड की गई अंग्रेजी वेबसाइट के संबंध में यह सुनिश्चित करायें कि वेबसाइट पर उपलब्ध सभी सामग्री/दस्तावेज यूनिकोड में हिंदी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो ताकि पूर्ण और ताजा जानकारी देने के मामले में हिंदी वेबसाइट अंग्रेजी वेबसाइट से पीछे न रहे। कृपया की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत कराने की कृपा करें।

सादर,

आपका,

(बी.एस. परशीरा)

श्री पी.सी. चतुर्वेदी,
सचिव,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।